

# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 17/2024  
जीसीएमएस नं. : 2024/88

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,  
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम

श्री मीत आचार्य प्रोपराईटर कल्पना स्वीट्स, आंबापुरा  
जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री चन्द्रेश मेहता, अधिवक्ता अप्रार्थी


निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 18-12-2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 27.09.2024 को कल्पना स्वीट्स आंबापुरा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री धर्मेन्द्र कुमार रोट, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान कल्पना स्वीट्स, आंबापुरा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री मीत आचार्य उपस्थित मिले। जांच में मौके पर 2 घरेलू सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेण्डर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एचपी गैस	994636 S	15.800	15.800	0.000
2	एचपी गैस	021514 C	17.000	15.900	1.100



  
जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)

श्री मीत आचार्य द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर मईडा ईण्डेन गैस सामरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री दीपा मईडा / कान्तिलाल को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 28.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री चन्द्रेश मेहता अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 18.12.2024 को अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया अप्रार्थी ने जवाब में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया कि अप्रार्थी किसी भी प्रकार का घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसाय उपयोग नहीं कर रहा था ना ही भण्डारण किया है। उक्त जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नहीं है ना ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। जब्त शुदा माल राजसात करने आदेश फरमावे। जवाब के साथ ही अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु निवेदन करने पर सुना गया। प्रस्तुत बहस में भी जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 27.09.2024 को कल्पना स्वीट्स आंबापुरा जिला बांसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान कल्पना स्वीट्स, आंबापुरा जिला बांसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री मीत आचार्य उपस्थित मिले। जांच में मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री मीत आचार्य द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6,



जिला कलेक्टर  
बांसवाडा (राज.)

7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर मईडा ईण्डेन गैस सामरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री दीपा मईडा/ कान्तिलाल को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार 02 घरेलु गैस सिलेण्डर कल्पना स्वीट्स आंबापुरा जिला बांसवाडा (राजस्थान) व्यवसायिक संस्थान पर उपयोग करते हुए पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा उक्त गैस सिलेण्डर एवं उसके साथ प्रयोग में लिये जा रहे रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 18-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. इंद्रजीत यादव)  
जिला कलेक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)  
बांसवाड़ा (राज.)